an>

Title: Need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to even those farmers whose land holdings are larger than that of marginal farmers.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आज्ञा से इस पवित्र सदन में आपके मार्फत माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय ग्रामीण एवं पंचायत राज विकास मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा में 5 हजार करोड़ का बजट अधिक देकर ग्रामों में ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना (मनरेगा) का 60 प्रतिशत बजट कृषि के विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं एवं उनसे संबंधित दीर्घकालीन कार्यों पर खर्च किये जायेंगे।

कृषि कार्यों में कूप निर्माण, तलाई निर्माण, खेती की मेढ़बंदी, वासगृह निर्माण, छोटे शीत भंडारों का योजना के तहत केवल छोटे एवं सीमांत कृषकों को ही लाभ मिलता है। यह बात सही है कि भारत में अधिकतर सीमांत कृषक एवं छोटे कृषक हैं। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात एवं कई अन्य क्षेत्रों में औसतन जोत सीमा बड़ी है। अतः इस योजना का उन कृषकों को भी लाभ दिया जाना चाहिए जिनकी जोत सीमा सीमांत काश्तकार की सीमा से थोड़ी ज्यादा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मनरेगा में ऐसा प्रावधान करें कि सीमान्त काश्तकार की जिस-जिस क्षेत्र में जितनी सीमा हो, उससे दोगुनी सीमा तक के काश्तकारों को भी लाभ मिल सके। जैसे मेरे क्षेत्र में दो हेक्टेअर सीमांत काश्तकार की सीमा है, इसे चार हेक्टेयर कर दिया जाता है तो मध्यम श्रेणी के काश्तकारों को भी मनरेगा का लाभ मिलेगा एवं उससे देश में कृषि पैदावार भी बढ़ेगी। मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को लाभ देने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है तो राष्ट्र एवं किसान के हित में होगा। धन्यवाद। ...(व्यवधान)